मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 03.10.2024

थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुरूसण्डी में हुई एक युवक की हत्या से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त तमंचा व लाइसेन्स शस्त्र (एसबीबीएल) बरामद —

दिनांकः 01.10.2024 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुरूसंडी में दो पक्षों के मध्य मारपीट व गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा फील्ड यूनिट व थाना को0देहात पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुँच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में त्वारित कार्यवाही करते हुए थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 213/2024 धारा 103(2),191(2),191(3),190,131,115(2),109,352,3(5),324(4),324(5), बीएनएस व 7 CLA Act. पंजीकृत की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनंदन' द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व भौतिक/ इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए दिनांकः 02.10.2024 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्र से 03 नफर अभियुक्तों 1. बजरंग लाल दूबे पुत्र स्व0 संकठा प्रसाद दूबे, 2. अंकुर दूबे पुत्र त्रिनयन दूबे व 3. अम्बुज दूबे पुत्र त्रिनेत्र नारायण दूबे समस्त निवासीगण ग्राम दूबे पचेर पोस्ट गुरूसण्डी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेन्स शस्त्र (एसबीबीएल), 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस कब्जे से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि गांव में स्थित मंदिर के दान पात्र को लेकर शिवदीप पाण्डेय पुत्र कृपा शंकर पाण्डेय व त्रिनयन दूबे सहित अन्य के मध्य वाद-विवाद व मारपीट हुआ, जिसमें अभियुक्तों द्वारा शिवदीप पाण्डेय की गोली मार हत्या कर दी गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. बजरंग लाल दूबे पुत्र स्व0संकठा प्रसाद दूबे निवासी ग्राम दूबे पचेर गुरूसण्डी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-60 वर्ष।
2. अंकुर दूबे पुत्र त्रिनयन दूबे जनपद मीरजापुर, निवासी दूबे पचेर पोस्ट गुरूसण्डी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-21 वर्ष।
3. अम्बुज दूबे पुत्र त्रिनेत्र नारायण दूबे निवासी ग्राम दूबे पचेर पोस्ट गुरूसण्डी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0 213/2024 धारा 103(2),191(2),191(3),190,131,115(2),109,352,3(5),324(4),324(5), बीएनएस व 7 CLA Act. थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

☐ 01 अदद लाइसेन्स शस्त्र (एसबीबीएल), 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस कब्जे

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बइयाडाड तिराहा से, दिनांकः 02.10.2024 को समय 20.40 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

☐ प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात अजय कुमार सेठ मय पुलिस टीम।

उत्तर प्रदेश पुलिस